भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1009**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 28 जुलाई 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

चाय बगानों में बिजली और मजदूरों की कमी

1009. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चाय बगान क्षेत्रों में बिजली और कामगारों की कमी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में किसी विशेष पैकेज की घोषणा की गई है;

(ग) क्या ये मुद्दे चाय के उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चाय के उत्पादन को सुरक्षा देने और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) : चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर बागान श्रम अधिनियम, 1951 (पीएलए), कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, वेतन भुगतान अधिनयम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत आते हैं, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं। चाय बागान मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और असम चाय बागान भविष्य निधि, पेंशन फंड और डिपॉजिट लिंक्ड बीमा फंड योजना अधिनियम, 1955 (केवल असम के लिए) द्वारा कार्यान्वित भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत भी कवर किया जाता है। श्रमिक मुद्दों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों या रिपोर्टों को समाधान के लिए संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष रखा जाता है। चाय सम्पदाओं में बिजली की समस्या के संबंध में टी बोर्ड को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस संबंध में किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।

चाय के उत्पादन पर बिजली और श्रम मुद्दों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, देश में चाय का उत्पादन 2020-21 में 1283.03 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 2022-23 में 1374.97 मिलियन किलोग्राम हो गया है। चाय बोर्ड की चाय विकास और संवर्धन स्कीम का उद्देश्य चाय के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि सहित चाय उद्योग का समग्र विकास करना है।
